संख्या- 07/2019/604/बयालिस-2019-29(विविध)/2013

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ: दिनांक : 28 फरवरी, 2019**

विषय :- पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-1502/2018-19,दिनांक 29.01.2019 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र संख्या-307/बयालिस-2019, दिनांक 21.02.2019 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से मेजर ध्यानचन्द स्पोर्टस कालेज, सैफई इटावा के सफल संचालन हेतु रू0 80.43 लाख (रूपया अस्सी लाख तैतालिस हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करते हुए उक्त के सापेक्ष रू0 80,42,947 (रूपया अस्सी लाख बयालिस हजार नौ सौ सैतालिस मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 80,42,947 (रूपया अस्सी लाख बयालिस हजार नौ सौ सैतालिस मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को लम्बे समय तक पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते/बैक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(3)- पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाये सेवाये-104-खेलकूद 23-स्पोर्टस कालेज को अनुदान 2303-स्पोर्टस कालेज सैफई को अनुदान 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक :- यथोक्त।

भवदीय,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 604(1)/बयालिस-2019-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रधानाचार्य, मेजर ध्यानचन्द स्पोर्टस कालेज, सैफई, इटावा।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 (तीन प्रतियों में)
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
8- नियोजन अनुभाग- 4
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(विनीत प्रकाश)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0 एम0-9(भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम :- अनुदान संख्या-22 वित्तीय वर्ष 2018-19

(रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-104-खेलकूद 23-स्पोर्टस कालेज को अनुदान 2303-स्पोर्टस कालेज सैफई को अनुदान 31-सहायता अनुदान (वेतन) 220400104230331	115.07	80.43	80.43	80.43	34.64
कुल योग	**115.07**	**80.43**	**80.43**	**80.43**	**34.64**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय 1	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-104-खेलकूद 23-स्पोर्ट्स कालेज को अनुदान 2303-स्पोर्ट्स कालेज सैफई को अनुदान 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) 220400104230320	146.20	226.63	80.43	80.43	226.63
कुल योग	**146.20**	**226.63**	**80.43**	**80.43**	**226.63**

(1)- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-104-खेलकूद 23-स्पोर्टस कालेज को अनुदान 2303-स्पोर्टस कालेज सैफई को अनुदान 31-सहायता अनुदान (वेतन) मद में रू0 115.07 लाख की बजट व्यवस्था उपलब्ध है। इस मद में रू0 80.42947 की बचत सम्भावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2)- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-104-खेलकूद 23-स्पोर्ट्स कालेज को अनुदान 2303-स्पोर्ट्स कालेज सैफई को अनुदान 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में व्ययाधिक्य का मुख्य कारण वर्ष 2018-19 में छात्रों की संख्या 295 है। इस प्रकार 295 छात्रों के सापेक्ष गैर वेतन मद में रू0 146.20 लाख की बजट व्यवस्था है, जबकि भोजन पर लगभग रू0 194.70 लाख एवं विद्य़त बिलों के भुगतान हेतु रू0 77.00 लाख कुल रू0 271.70 लाख की व्यय होने की सम्भावना है ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 2204 खेलकूद तथा युवा सेवायें 104-खेलकूद 23-स्पोर्टस कालेज को अनुदान 2303-स्पोर्टस कालेज सैफई को अनुदान 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0 146.20 लाख की बजट व्यवस्था उपलब्ध है जिसके सापेक्ष अब तक रू0 146.20 लाख के आदेश निर्गत किये जा चुके है इसके अतिरिक्त लगभग रू0 80.43 लाख व्यय होना सम्भावित है ।

(3)- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(विनीत प्रकाश)
उप सचिव।

संख्या: आरई-415/ई-5-223/दस-2019,दिनांक-21,फरवरी, 2019

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(आनन्द कुमार राय)
अनु सचिव,
वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग- 5

संख्या- 307/बयालिस-2019-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संबधित विभागाध्य (नियंत्रक अधिकारी)
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

(विनीत प्रकाश)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in